Website:- www.dipronline.org email:- projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

महिला उत्पीड़न के मामालों में त्वरित कार्रवाई की जाए - मीणा

झुंझुनू, 25 जून: अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने कहा है कि महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि पीड़ित पक्षकार को समय पर वांछित राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए। वे शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा भवन में महिलाओं पर अत्याचार संबंधी, अपराधों के निराकरण के लिए गठित समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान बोल रहे थे।

उन्होंने पुलिस से कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में पुलिस द्वारा जितनी त्वरित गति से मामले की जांच की जाएगी पीड़ित को उतना ही जल्दी न्याय मिल पाएगा। पुलिस को चाहिए कि ऐसे मामालों में दोषी बचने नहीं पाए, ऐसे सबूत प्रारंभ में ही जुटाए जाएं। उन्होंने महिलाओं पर हुए अत्याचार के संबंध में न्यायलय एवं पुलिस में विचाराधीन मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए ऐसे प्रकरणों में अभियोजन में असफल नहीं रहने, साक्ष्यों को प्रतिकूल नहीं होने देने, सम्मन वारंटों की समय पर तामील करवाने, पुलिस व अभियोजन शाखा के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के प्रयास करने पर विशेष बल दिया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिहारीलाल वर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। बैठक में आंतरिक सुरक्षा एवं पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बताया गया कि जिले में पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु का एक भी प्रकरण बकाया नहीं है।

झुंझुनू में सड़क व रास्तों के अतिक्रमण हटाए गए

झुंझुनू, 25 जून: जिला कलेक्टर के निर्देश पर झुंझुनू तहसीलदार महेन्द्र मीणा द्वारा शुक्रवार को झुंझुनू से इण्डाली-भडौन्दा कलां सड़क मार्ग पर आस-पास के खातेदारों को सीमा ज्ञान करवाकर मौके से अतिक्रमण हटाए गए हैं। तहसीलदार ने बताया कि रोड़ नम्बर तीन से लगती हुई खसरा नम्बर 2541 गैर मुमकिन रास्ते पर श्रवण कुमार माली व खसरा नम्बर 2503 पर पोकरमल, गोपीराम व विश्वम्भर लाल आदि ने सड़क व रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा था। उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए शुक्रवार को उक्त अतिक्रमियों के अतिक्रमण हटाकर मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता शंकर लाल को सीमा ज्ञान व निशानदेही करवाई गई, जिससे सड़क बनाने का कार्य व आवागमन सुगम हो गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे।

डॉ. शर्मा आज नवलगढ़ आएंगे: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा शनिवार को प्रात: जयपुर से 8 बजे रवाना होकर 11 बजे नवलगढ़ पहुंचेंगे और नवलगढ़ तथा झुंझुनू में विभिन्न प्रस्तावित कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद रात्रि विश्राम नवलगढ़ करेंगे।

.....2...

(2)

सतर्कता समिति व राजस्व अधिकारियों की बैठक आज

झुंझुनू, 25 जून: शनिवार को जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा भवन में दो बैठकों का आयोजन किया जाएगा। अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि प्रात: 11 बजे सतर्कता समिति की बैठक में पहले से दर्ज 17 मामलों में जन सुनवाई करके अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के बाद मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसी दिन अपराह्न 3 बजे राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें राजस्व संबंधी बकाया प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।

उपभोक्ता मंच द्वारा बीमा कम्पनियों को क्लेम राशि देने के निर्देश

झुंझुनू, 25 जून: जिला उपभोक्ता मंच ने अलग-अलग निर्णयों में भारतीय जीवन बीमा निगम एवं नेशनल इंशोरेन्स कम्पनी को आदेश दिए हैं कि वे परिवादी गण को मंच के निर्णय के अनुसार वांछित राशि मय 9 प्रतिशत ब्याज के दो माह में अदा करे। मंच के अध्यक्ष पी.एन. खण्डेलवाल, सदस्या मंजू चौहान व सदस्य बनवारी लाल ने परिवादी गण के परिवाद को स्वीकार करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की चिड़ावा शाखा को निर्देश दिए हैं कि वह बुहाना तहसील की ढाणी हुक्मा की श्रीमती मरवण देवी को उनके पति के निधन पर बीमा पॉलिसी पेटे एक लाख रूपये व शारीरिक व मानसिक संताप के लिए दो हजार तथा परिवाद व्यय के एक हजार रूपये का भुगतान करे।

इसी प्रकार मंच ने नवलगढ़ तहसील के बिरोल गांव की श्रीमती संतरा देवी को उनके मृतक पति विद्याधर की बीमा पॉलिसी पेटे 50 हजार रूपये व शारीरिक व मानसिक संताप के 3 हजार तथा परिवाद व्यय के एक हजार रूपये भुगतान करने के निर्देश भारतीय जीवन बीमा निगम झुंझुनू को दिए हैं। मंच ने वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी उदयपुरवाटी के परिवादी सुण्डाराम सैनी को 34 हजार 659 रूपये क्षति पूर्ति राशि पेटे व शारीरिक व मानसिक संताप के तीन हजार रूपये और परिवाद व्यय के एक हजार रूपये नेशनल इंशोरेन्स कम्पनी की झुंझुनू शाखा को भुगतान करने को कहा है। चिड़ावा के कैलाशचन्द्र शर्मा को भी उसके ऑटो टैक्सी दुर्घटना ग्रस्त होने पर मरम्मत कार्य पर खर्च हुए 14 हजार 105 रूपये व शारीरिक व मानसिक संताप के दो हजार रूपये तथा परिवाद व्यय के एक हजार रूपये बीमा कम्पनी से प्राप्त करने का निर्णय दिया है।

जुलाई माह में परिवार कल्याण के 29 शिविरों का आयोजन

झुंझुनू, 29 मार्च: चिकित्सा विभाग की ओर से जुलाई माह में जिले में 29 परिवार कल्याण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) विद्यासागर ने बताया कि एक जुलाई को मण्ड्रेला में, 5 को सिंघाना में, 7 को मुकुन्दगढ़ में, 8 को पीपली में, 10 को बुहाना व सूरजगढ़ में, 12 को नवलगढ़ में, 13 को जसरापुर में, 15 को टीबा बसई में, 16 को खेतड़ी व मलसीसर में, 17 को बबाई में, 18 को सिंघाना व चनाना में, 19 को बगड़ में, 20 को चिराना, उदयपुरवाटी व पपूरना में, 23 को पिलानी में, 24 को पचलंगी व मण्डावा में, 25 को गुढ़ा व शिमला में, 26 को बुहाना में, 27 को नवलगढ़ व सुलताना में, 28 को बड़ागांव में, 29 को खेतड़ी में तथा 30 जुलाई को पौंख में नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

.....2....

(3)

नरेगा के 11 कार्यो के लिए 80.34 लाख रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 25 जून: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने आदेश जारी करके खेतड़ी एवं अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में नरेगा के 11 कार्यो के लिए 80.34 लाख रूपये स्वीकृत किए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि खेतड़ी पंचायत समिति के बांकोटी, दूधवा नांगलिया, गोरीर, कांकरिया, बसई व मोड़की में 62 लाख 6 हजार रूपये के कार्य करवाएं जाएंगे, जबकि अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र के दौलतपुरा, बिशनपुरा, बासड़ी व खोहरी गांवों में 18 लाख 28 हजार रूपये के कार्य करवाएं जाएंगे।

विधायक कोटे के पांच कार्यो के लिए 8.20 लाख रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 25 जून: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने आदेश जारी करके विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत नवलगढ़, मण्डावा और झुंझुनू विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों के कोटे से पांच निर्माण कार्यो के लिए 8 लाख 20 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि नवलगढ़ विधायक एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा के कोटे से माण्डासी गांव की हरिजन बस्ती में सेफ्टी वॉल बनाने के लिए एक लाख रूपये, झुंझुनू विधायक एवं सहकारिता राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला के कोटे से गिडानियां गांव में रणधीर बुगालिया के घर से उच्च जलाशय तक सीमेन्ट सड़क निर्माण के लिए दो लाख रूपये और मण्डावा विधायक रीटा चौधरी के कोटे से लुमास में नाली निर्माण, भोजासर की

हरिजन बस्ती में सीमेन्ट सड़क निर्माण और धनूरी गांव के वार्ड नम्बर दो में सीमेन्ट सड़क व नाली निर्माण के लिए 5 लाख 20 हजार रूपये मंजूर किए हैं।

श्रम संविदा पर कार्य करने की सहमति 5 जुलाई तक देने के निर्देश

झुंझुनू, 25 जून: अजमेर विद्युत वितरण निगम (झुंझुनू वृत) के अधीनस्थ वर्ष 2010-11 में ए.एल.टी, 11 के.वी. एवं 33 के.वी. की लाईने खेंचने तथा पावर/वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करने के कार्य के लिए पंजीकृत फर्मो व ठेकेदारों से श्रम संविदा पर कार्य करवाने के लिए उनकी सहमति 5 जुलाई तक चाही गई है। निगम के अधीक्षकण अभियन्ता एम.एस. खमेसरा ने बताया कि इच्छुक पंजीकृत फर्मे व ठेकेदार अपना सहमति पत्र मय रजिस्ट्रेशन प्रति के आगामी 5 जुलाई तक प्रस्तुत करें ताकि उनको पैनल में शामिल किया जा सके।

नगरपालिकाओं की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का कार्य प्रारंभ

झुंझुनू, 25 जून: अगस्त माह में नगरपालिकाओं के होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिले की नौ नगरपालिकाओं की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के.एल. मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की बगड़, मण्डावा, चिड़ावा, सूरजगढ़, विद्या विहार, खेतड़ी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ की निर्वाचक नामावलियों को एक जनवरी 2010 के आधार पर तैयार किए जाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 21 जून को किया जा चुका है, जबकि मतदाता सूचियों का वार्ड ए वं मतदान केन्द्रों पर पठन का कार्य भी 22 व 23 जून को किया गया है। दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई और उनका निस्तारण 8 जुलाई को करने के बाद 10 जुलाई को पूरक की तैयारी एवं मुद्रण तथा 12 जुलाई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

अनुसूचियों की जांच चार्ज अधिकारी से करवाएं

झुंझुनू, 25 जून: जिले के सभी पर्यवेक्षक 27 जून तक अपने प्रगणकों की अनुसूचियों की जांच चार्ज अधिकारी या मास्टर ट्रेनर से आवश्यक रूप से करवा लें। पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने सभी प्रगणकों का सही रिकॉर्ड चार्ज अधिकारी को जमा कराएं और कार्य पूर्ण करने वाले प्रगणक अवशेष रही खाली अनुसूचियों को भी चार्ज अधिकारी को जमा करा दें ताकि वे इन्हें जिला स्तर पर भिजवा सकें।

जिला जनगणना प्रभारी महेश कुमार ने पर्यवेक्षकों से कहा है कि अगर सम्पूर्ण कवरेज प्रमाण पत्र में अनुसूचियों की सं ख्या दर्ज नहीं हो रही है तो वे चार्ज अधिकारी से अलग-अलग प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। सभी पर्यवेक्षक व प्रगणकों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर व वर्किग सीट के उपर लोकेशन विवरण तथा नीचे दोनों को दिनांकित हस्ताक्षर करने हैं। सभी मास्टर ट्रेनर अपने-अपने चार्ज अधिकारी से रिकॉर्ड जमा करने संबंधी सरकुलर नम्बर 20 प्राप्त कर लेवें ताकि सही दिशा निर्देशानुसार रिकॉर्ड जमा हो सके।